न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 507/2022

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ.

प्रार्थी –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण –

1. श्री रामाराम पुत्र जोगाराम कौम जाट, निवासी पनोरिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
2. श्री कमालखान पुत्र नवाबखान कौम मुसलमान निवासी वेडिया तहसील चितलवाना जिला जालोर

अधिवक्तागण – प्रार्थी – **परोकार वकील**

विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के वकील – **श्री दोष मोहमद**

निर्णय

दिनांक :– ~~29.06.2022~~ 12-01-23

प्रार्थी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के संयुक्त पैतृक खातेदारी एवं कब्जे–काश्त के खेत मौजा सेडवा पटवार हल्का सेड़वा तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 1308/362 रकबा 0.0324 हैक्टर (0.04) बीघा किस्म बारानी दोयम विप्रार्थी के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज है। जमाबन्दी सवत् 2078 से सलंग्न है। कि मौजा सेड़वा के खसरा न. 1308/362 रकबा 0.0324 हैक्टर (0.04) बीघा किस्म बा.दो. मे से सम्पूर्ण भूमि (0.04बीघा) पर विप्रार्थी द्वारा अवैध तरिके से भूमि पर दुकानों का निर्माण कार्य किया जाकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। जो नियम विरूद्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत खातेदार को कृषि भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे लेने हेतू दी गयी है। जबकि गैर कृषि कार्य से धारा 15 का उल्लघन हुआ है जिससे खातेदार बेदखल योग्य है। कि विप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ किसी प्रकार के सम्परिवर्तन के सम्बन्ध में साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किये है। कि उपरोक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही हेतू राजस्व वाद न्यायालय मे विचाराधीन है कि माननीय न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत वाद विचाराधीन रहने के दौरान विप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को बेचान,

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.10 21:34:40 IST
Reason: SelfAttested

हस्तान्तरण आदि के जरिये खुर्द–बुर्द करने की पूर्ण सम्भावना है। अतः माननीय न्यायालय में वाद के निर्णय तक ग्राम सेड़वा के खसरा संख्या 825/362 रकबा 0.1700 हेक्टर (01.01बीघा) पर अस्थायी निषेधज्ञा पारित कर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमाने की इल्तजा की जाती है।

उभयपक्षकारान वकील उप0। विप्रार्थीगण वकील ने जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र का जवाब विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से निम्नानुसार है– प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन में राजस्व रेकर्ड के अनुसार सही हाने से स्वीकार है। विप्रार्थीगण के द्वारा आवेदनग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अवैध निमार्ण नहीं किया गया है तथा न ही किसी प्रकार की कोई दुकानों का निर्माण करके व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही हैं। विप्रार्थीगण के द्वारा अपने पशुओ के लिए चाराबाड़ा एवं घर का निर्माण किया जा रहा है। विप्रार्थीगण के द्वारा आवेदनग्रस्त भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ में उपयोग लिए जाने का कथन मनगढन्त है। विप्रार्थीगण द्वारा भविष्य में अगर आवेदन ग्रस्त भूमि पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ दुकानों का निर्माण कार्य करवाया जाता है तो वो भूमि संपरिवर्तन करने बाद ही उक्त कार्य करेगा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 में इस संबंध में किसी प्रकार की काई परिभाषा कानून में नहीं दी गई है। प्रार्थी ने बिना कानुन का ज्ञान किए ही उक्त वाद प्रस्तुत किया है। विप्रार्थीगण ने भी कृषि भूमि सहकार्य के लिए अपना घर एवं पशुबाड़े इत्यादि बनाये जो अकृषि प्रयोजनार्थ की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थी का आवेदन काबिल खरिज योग्य है। कि आवेदन पत्र का पद गलत हाने से अस्वीकार है तथा जवाब यह हैं कि विप्रार्थीगण के द्वारा किसी आवेदनग्रस्त भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग ही नहीं लिया तो साक्ष्य सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं है। हल्का पटवारी प्रार्थी का ही अधिनस्थ कर्मचारी है जिसने प्रार्थी के कहे अनुसार बिना मौका देखे ही अपनी मनमर्जी से मौका रिपोर्ट बनाई है। प्रार्थी के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175–177 को गलत तथ्यों के आधार पर तोड़–मारोड़कर उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज योग्य है। कि आवेदनपत्र का जवाब यह है कि प्रार्थी का उक्त धारा में वाद अवश्य विचाराधीन है लेकिन उसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की कतई संभावना नहीं है। वादग्रस्त बेचान इत्यादि करने के लिए कानुनी रूप से स्वतन्त्र है। विप्रा[illegible] द्वारा स्वंय की भूमि को खुर्द–बुर्द करके स्वयं को नुकसान क्यों पहुंचायेंगे। उक्त प्रार्थी [illegible] के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है। आशय का एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.10 21:34:40 IST
Reason: SelfAttested

को सफलता मिलने की कतई संभावना नहीं है। तथा जवाब यह हैं कि वादग्रस्त बेचान इत्यादि करने के लिए कानुनी रूव से स्वतन्त्र है। विप्रार्थीगण के द्वारा स्वंय की भूमि को खुर्द–बुर्द करके स्वयं को नुकसान क्यों पहुंचायेगे। उक्त प्रार्थी विप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र काबिले खारिज योग्य है। आशय का एक वाद मनगढ़न्त तथ्यों पर आधारित प्रस्तुत किया गया है लेकिन उसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की संभावना नहीं है।

प्रार्थी द्वारा न्यायालय की आड में एकतरफा स्थगन आदेश पारित करवाया है। एकतरफा स्थगन आदेश प्रार्थी द्वारा कानूनी प्रक्रिया में व्याधान पैदा करने की नियत से, सारहीन व बिना किसी आधार के गलत, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत् एवं बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 175–177 एव 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया जिससे ऐसा प्रतीत कई नहीं होता है कि प्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश लिया गया व न्यायदृष्तांत है। पत्रावली का अध्ययन करने से प्रतित होता कि सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर विप्राथ्री के पक्ष में होता है। जिसके आधार पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा एकतरफा स्थगन आदेश की आड में विप्रार्थी को बेवजह परेशान किया गया है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्व लिया गया एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी एकतरफा स्थगन आदेश 409/2022 दिनांक 02.12.2022 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.10 21:34:40 IST
Reason: SelfAttested